कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- अशिक्षा/परिषद लखनऊ/2019/1122 लखनऊ: दिनांक 18-5-2019

:-अशासकीय पत्र-:

अशिक्षा मुक्ति अभियान जिला परिषद द्वारा वर्तमान वर्ष 2018-20 हेतु विभिन्न स्वयंसेवी संस्थान संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 11-3-2019 को समाचार, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से आमंत्रित की गई। वेबसाइट में वर्ष 2018-20 हेतु आमंत्रित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/मान्यता/अंकन समाप्त वृद्धि/कमी हेतु वर्ष 2018-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पद-3 में निम्नांकित मुद्दा कार्यालय पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकाशन तथा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा संस्था विवरण-रिपोर्ट का विस्तृत निर्णय निम्न पत्र :-

> "एकआईएसडीएफ द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुमोदन विवरण के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध निम्नांकित कार्यरत संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया कि संस्थाओं को निम्नांकित मुद्दा कार्यरत पाठ्यक्रम में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2018-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्राप्त होने के पूर्व एकआईएसडी अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जायेगी।"

अतः निर्णयानुसार समिति संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं जिला-निरीक्षक द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2018-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एकआईएसडीएफ/न्यू फ्रीडमआईए द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एकआईएसडीएफ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था प्रत्येक प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित शिक्षा परिषद शिक्षकों/ संस्था द्वारा प्रवेश निर्धारित नियमों एवं आरक्षण का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निरीक्षक समिति द्वारा निर्धारित मुख्य जैसे समिति द्वारा मान्यता हेतु रू0 20,000/- परिषद, जो समिति कार्यालय पाठ्यक्रम हेतु रू0- 10,000/- परिषद एवं एक लाख जो समिति पाठ्यक्रमों एवं समिति कार्यालय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रू0- 25,000/ प्रतिवर्ष मुख्य जो पर्याप्त शुल्क/फाइल से द्वारा किया जायेगा। संस्थाओं के अतिरिक्त शुल्क/फाइलों से मुख्य के माध्यम से संस्था-संस्था का शुल्क द्वारा निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों अथवा होंगे, जो अनुमोदन कार्यालयों किया जाना आवश्यक होगा। जैसे निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2019-20 हेतु कोई भी पाठ्यक्रम किया जाता है, तो जैसे की मान्यता की जायेगी।

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

पृष्ठांकन- [illegible]/[illegible] [illegible]/[illegible]/[illegible] पत्रांक/दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि- [illegible]/[illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]
[illegible]

कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2020/ [illegible] लखनऊ: दिनांक: 15-6-2020

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अधिकृत चालीस कर्मचारी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मिक कल्याण और पेंशन, नई दिल्ली द्वारा संशोधित सत्र 2020-21 हेतु शिथिलन करते कर्मचारी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-6-2020 को आयोजित प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की आयोजित बैठक कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रस्तावित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पृष्ठ-5 में शिथिलन इन कर्मचारी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पारित निम्न-बिन्दुओं का निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

- निजी क्षेत्र में संचालित शिथिलन इन कर्मचारी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु सीएसआईटी द्वारा पत्रों सम्बद्ध अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में सीएसआईटी द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से सीएसआईटी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-06-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित मदों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनकी अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्रम सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीएसआईटी द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	सीएसआईटी/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible] प्रवेश और कर्मचारी, [illegible], [illegible]।	शिथिलन इन कर्मचारी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था सीएसआईटी/सीएसआईटी द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था प्रत्येक प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं राज्य स्तर प्राथमिक शिक्षा परिषद शिक्षकाचार्य संघ, सीएसआईटी-कुरुक्षेत्र तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं अर्हताओं का अनुपालन करेगी तथा मूलभूत नियमित कर्मचारी द्वारा निर्धारित मूलभूत लीज राशि इत्यादि पाठ्यक्रमों हेतु रुपए 20,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कर्मचारी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 40,000/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (3) वर्षीय कर्मचारी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रु0-60,000/- प्रतिवर्ष मूलभूत की प्रतिवर्ष जमा/वसूल के अन्य किया जायेगा। पाठ्यक्रम के प्रतिवर्ष शुल्क/फीस से मूलभूत के अलावा में समय-समय पर

शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समिति द्वारा की गई प्रदान-दे हेतु पीठों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीठों की संख्यिकता भी लागू होगी।

- ✓ संस्था की प्रत्येक प्रतिभिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं की सम्बद्ध किया जाने) जिलाधिकारी–प्रयाग की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था के अनुसार प्रदान परीक्षा परिषद द्वारा जारीकृत प्रपत्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। पीठों के निरस्त या जाने की स्थिति में प्रदान प्रवेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एफआईआरटीएस/पीएमएसएसए के अन्तर्गत स्वयं हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश शासन द्वारा चलाये गये विषय/विभाग/प्रतियोगिता/पाठ्यक्रमों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा, प्रयाग, बेसिक प्रदेश परीक्षा परिषद, प्रयाग तथा प्रारंभिक शिक्षा परिषद, प्रयाग द्वारा चलाये गये विषयों, डिप्लोमों, प्रमाणों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ जिलाधिकारी द्वारा समिति पाठ्यक्रम की संचालन नहीं पीठों/इकाई, यदि किसी से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रारंभिक शिक्षा परिषद, बेसिक प्रदेश परीक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रयाग प्रदेश शासन को कोई पत्र प्राप्त किया जाता है तथा पत्रों प्राप्त होने के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूली कार्यवाही निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिकूली कार्यवाही संस्था की करनी होगी।
- ✓ जिलाधिकारी द्वारा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को अनुमोदन प्रदेश परीक्षा परिषद, प्रयाग प्रदेश शासनादेश द्वारा जारीकृत पत्रों के लिए प्रारंभिक शिक्षा परिषद हेतु मान्यताधिकार प्राप्त होने के पूर्व पीठों/इकाई के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद प्रारंभिक को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा पत्रों प्रदेश की (प्रारंभिक/बेसिक के शासन के अनुसार संस्था स्वयं का सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ पाठ्यक्रम प्रदेश संचालन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत मानदण्ड प्रावधान नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने संस्थापन का संस्था की शासन मुख्यालय जैसे संस्था की दैनिकादिक पुस्तिकाएँ, पत्राचार, पत्र-व्यवहार, उपस्थिति, प्रवेश किया जाने वाला शुल्क, प्रमाणपत्र शुल्क आदि का निर्धारण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को निरीक्षण-परिक्षण हेतु अनुमोदन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के साथ निर्गत पीठों के संबंध में संस्था प्रमाणपत्र उपलब्ध पुस्तिकाएँ करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रशासनिक/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु हेतु निर्धारित पीठों के संख्या संचालन करने वाले अभिलेख, पुस्तिकाएँ, पत्रावलियाँ, प्रमाणपत्र इत्यादि का सभी संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इकाई जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपरोक्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

पृ०सं०– प्रारि०/परिषद सम्बद्धता/2026/ 5872–3741 दि० दिनांक: 16-06-2026

प्रतिलिपि–प्रयागराज/निदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद और पार्श्वकी, प्रयागराज, गिरि।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

आदेश,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविशपरिषद/[illegible]/[illegible] लखनऊ: दिनांक: [illegible]

आदेश क्रम:

प्राविधिक चिकित्सीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैशन वर्ष 2021-22 हेतु डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने के अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- [illegible] को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता, पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1863-NEELKANTH COLLEGE OF PHARMACY, PAWALI KHAS, SARDHANA, MEERUT			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीईद्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीईद्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, शैक्षिक विनियमावली-2018 तथा अन्य विविध नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियंत्रण कमेटी द्वारा निर्धारित शुल्क सीमा शुल्क (शुल्क पाठ्यक्रमों हेतु रूपए 2,81,250.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रूपए- 4,50,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रूपए-2,25,000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क से अधिक शुल्क प्रवेशपत्र में प्राप्त किया जायेगा। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त प्रवेश प्रक्रिया के शुल्क के अलावा भी समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासकीय शुल्कों होंगे, और अनुमुख शुल्कवृद्धि किया जाना अनिवार्य होगा। जीवित निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सीमा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो परिषद की परीक्षाएं दो वर्ष होंगे।
- ✓ संस्था को 2000 प्राविधिक शिक्षा संशोधित उच्च स्तर समिति, उत्तरप्रदेश की सम्बद्ध विस्तार पाठ्य विनियमावली-2002 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संचालित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पाठ्यों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विरुद्ध पाठ्य करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के दिशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सम्बद्ध संस्था एवं निर्गत शासनादेश के अनुसार नियमित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीईद्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी गये विभिन्न शासनादेशों, परिपत्रों एवं निर्देशन, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, राजकीय प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा जारी गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ निदेशक द्वारा फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं सीटें सी.सी.आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा रखती है तो इस संबंध में सम्बद्ध उच्चस्तरीय संस्था का दायित्व और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, राजकीय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई भूमिका नहीं होगी। उक्त सूचना सत्र के संबंध में स्व. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही अथवा निर्णय दिया जाता है तो समस्त प्रतिकूलों संस्थान संस्था की होगी।
- ✓ निदेशक द्वारा फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश कार्य के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीसीआई द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना

होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की स्थिति के कारण से अथवा संस्था द्वारा या दोनों प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

- ✓ उक्त प्रवेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत गाइडलाइन/आदेश नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था को अपने कैम्पस/ए का संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे संस्था की हॉस्टल/मेस सुविधा, भवन, खेल-कूद, उपकरण, उपकरण जिम जहां तक सुलभ, उपलब्ध सुलभ आदि का निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को नियमित परीक्षाओं हेतु पर्याप्त पर्यवेक्षक उपलब्ध कराने के साथ नियमित रखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रायोगिक/संगणित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्धारित मानकों के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये लैबोरेटरी, सुविधाओं, कम्प्यूटर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा की प्रक्रिया चलती होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपरोक्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के कार्यालय निर्धारित दैनन्दिन यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एवं [illegible] परीक्षा के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार चौधरी)

सचिव

पृष्ठांकन: [illegible] दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि:-

उपरोक्त संस्था पिन NEELKANTH COLLEGE OF PHARMACY, PARVALI KHAS, SARDHANA, MEERUT

(सुनील कुमार चौधरी)

सचिव